न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी श्री अतहर आमिर उल शफि खान आई.ए.एस.

रण संख्या 55/2018

उनवान

1 श्री लादुलाल पिता नाथुलाल नाई निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा —प्रार्थी

बनाम

1 श्रीदुर्गेश पिता श्रीज्ञानमल खटीक निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
2 श्रीपरमेश्वर पिता श्रीज्ञानमल खटीक निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
3 श्रीबबलू पिता श्रीज्ञानमल खटीक निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
4 श्री संजय पिता श्रीज्ञानमल खटीक निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
5 श्री सुगना पत्नि श्रीज्ञानमल खटीक निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
6 इन्द्रा पुत्री कस्तुरचन्द खटीक निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
7 गणप4त पिता कस्तुरचन्द खटीक निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
8 मोहनी पत्नि कस्तुरचन्द खटीक निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
9 रामेश्वर पिता कस्तुरचन्द खटीक निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
10 विमला पुत्री कस्तुरचन्द खटीक निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
11 गणेश पुत्र गोरधन खटीक निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
12 रतन पुत्र गोरधन खटीक निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
13 बख्तावर पुत्र गोरधन खटीक निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
14 लादु पुत्र गोरधन खटीक निवासी हमीरगढ तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा
15 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 25.06.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूँ—राजस्व अधिनियम 6 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 16.05.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है ग्राम हमीरगढ पटवार ा हमीरगढ भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी र 3866 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं ीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन ार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.05.2019 को पंजीबद्व किया गया। प्रार्थी के वक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 15 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के ान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध र्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार लेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व रित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ तहसील हमीरगढ में उसके की कृषि भूमि आराजी नम्बर 3866 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा भूमि कि पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड र्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क /— पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार सयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 25.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल ार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

Scanned by CamScanner